



DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION DHANBAD

कार्यालय धनबाद नगर निगम, धनबाद

अनुज्ञप्ति

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अंतर्गत

संख्या : 16/17/25002006

दिनांक : 11-05-2016

श्री/श्रीमती **MANISH KUMAR SINGH**

पिता/पति का नाम **SRI TARKESHWAR
PRASAD SINGH**

वार्ड नं. **25**

धनबाद नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत.

प्रतिष्ठान का नाम **ORIENTAL BUILDER & DEVELOPER**

प्लॉट नं.

गृह संख्या

वार्ड **25**

मुहल्ला / बाईलेन में **SURYA BIHAR COLONY BEHIND C.M.R.I.GATE DHANBAD**

व्यवसाय **SRI TARKESHWAR PRASAD SINGH**

के लिए निर्धारित शुल्क **2500.00/-**

(Two Thousand Five Hundred Rupees)

रु० विविध रसीद सं. **TRN146263973720225**

दिनांक **11-05-2016**

द्वारा प्राप्त कर वर्ष **2016-2017**

के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है

1. यह अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
3. व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
4. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
5. प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना आवश्यक होगा।
6. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
7. नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा। अनुज्ञप्ति निस्तारण का अधिकार नगर आयुक्त को सुरक्षित है।
8. प्रतिष्ठान के सामने अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
9. निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कचरा फेंकना सुनिश्चित करेंगे।

hyd
11.5.16
निबंधन पदाधिकारी,
धनबाद नगर निगम,
धनबाद।